न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं0 2015/00145 (217/2015) 225 आरटीएक्ट

1. लालचन्द पुत्र श्री कालूराम जाति जाट आयु 75 वर्ष निवासी गुलाबगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. लाधूराम पुत्र. श्री गोपालराम जाति जाट आयु–50 वर्ष निवाासी गुलाबगढ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. मु0 शारदा पत्नी स्व0 श्री नानूराम जाति स्वामी आयु 65 वर्ष निवासी गुलाबगढ तहसील रावतसरस जिला हनुमानगढ (राजस्थान) –अपीलाण्ट

बनाम

1. हेतराम पुत्र श्री जैसाराम जाति जाट आयु 65 वर्ष निवासी गुलाबगढ तहसील रावतसरस जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. बृजलाल पुत्र श्री मंगलाराम जाति मेघवाल आयु 64 वर्ष निवासी पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.02.2014 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर, प्र0 सं0 83/2011 हेतराम बनाम बृजलाल आदि

श्री छगन लाल सिडाना अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री देवीलाल भाम्भू अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 1

श्री नेकीराम शर्मा अधिवक्त रेस्पो0 सं0 2

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट रेस्पो0 3

निर्णय दिनांक:– 23.12.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध धारा 88

05.1971 को उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा अलॉट की गई थी। जिसके निशानात लेकर काश्त करना शुरू कर दी यह भूमि आज भी उसके कब्जा काश्त में चली आ रही है। बन्दो बस्त विभाग ने खसरा नं. परिवर्तन करने पर नये खसरा पनं. 1107, 1106/1317, 1110 बने। वादी की उपरोक्त आराजी चा0 नं. 1107 में व 1110 में दर्ज कर दी गई। बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा परिवर्तन किये जाने पर उपरोक्त आराजी में से 10.05 बीघा (2.707है0) आराजी ख0 नं0 1107 में परिवर्तन हुई तथा शेष भूमि इसी खसरा में चिपती हुई ख0 नं0 1106/1317 में पैमूद होनी थी क्यों कि वादी का कब्जा ख0 नं0 11.7 के चिपते हुए उत्तर दिशा में ख0 नं0 1106/1317 में है, जो वादी की चिपते हुए खसरा है तथा वादी की अन्य खसरा नम्बरान की आराजी भी इसी में चिपती हुई आराजी है लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलती से व भूलवश उपरोक्त 4.10 बीघा (1.139 है0) आराजी को खसरा नं. 1110 में दर्ज कर दिया गया जो कतई गलत है। क्योंकि खसरा नं. 1110 वादी की आराजी से काफी दूर है न ही कभी वादी का उस भूमि पर कभी कब्जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 बृजलाल द्वारा उसके नाम से आवंटन शुदा आराजी के निशान व पैमाईश वगैरहा करवाई गई तो वादी का ज्ञान हुआ कि वादी के नाम की 4.10 बीघा (1.139 है0) आराजी ख0 नं0 1110 में दर्ज चली आ रही है लेकिन वादी का कब्जा हमेशा ही 1106/1317 में रहा है यही आराजी वादी के चिपती आरजी है प्रतिवादी का कभी उक्त ख0 की आराजी में कब्जा काश्त नहीं रहा है। गलत पैमाईश का फायदा उठाकर व वादी के नाम की आराजी पर कब्जा कर काश्त करने को उतारू है। इसलिए प्रतिवादी ने कब्जा काश्त हेतु दखलअंदाजी शुरू कर दी है। वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में ख0 नं.0 1110 की 4.10 बीघा (1.139 है0) आराजी के स्थान पर वादी को ख0 नं0 1106/1317 की 4.10 बीघा (1.139 है0) आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को इस भूमि के कब्जा में मदाखलत ने करने हेतु पाबंद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

2. प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश करते हुए कथन कियाकि प्रतिवादी सं0 1 जो अनुसूचित जाति का सदस्य है जिसे खसरा नं. 1106/1317 की 10 बीघा 14 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि है जिससे प्रतिवादी सं0 1 को नाम मात्र की कृषि भूमि से अपना व अपने परिवार का पोषण करता है लेकिन प्रतिवादी सं0 1 कृषि भूमि को हड़प करने की नियत से वाद पेश किया जिस पर वादी का कभी भी कब्जा नही रहा है अब उक्त कृषि भूमि किया गया है। वादी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही धारा 183 'बी' के तहत

नियत से वाद पेश किया है। प्रतिवादी ने वाद खारिज करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एव जवाब दावा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री कतई गलत, विधक प्रावधानों विपरीत, मनमाना होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विधि का प्रावधान है कि अनुसूचित जाति के सदस्य की कृषि भूमि को स्वर्ण जाति के सदस्य के पक्ष में नहीं की जा सकती है। वादपत्र पत्र में मात्र घोषणा व शाश्वत व्यादेश का अनुतोष चाहा गया था लकिन निर्णय एवं डिक्री में कब्जा अन्तरित करने के बाबत आदेश कर दिये गये जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के सम्बन्ध में कोई अभिकथन ना तो वाद पत्र में अंकित किये गये और न ही इस सम्बन्ध में विवाद्यक विरचित किय गये। न्यायालय ने वादपत्र एवं उसके आधार पर विरचित विवाद्यक के बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने जवाब दावा में यह स्पष्ट अभिकथन किया है कि रोही मौजा गुलाबगढ के वर्तमान खसरा नं. 1106/1317 की 10.19 बीघा कृषि भूमि जो वर्तमान रिकार्ड में 2.707 है0 है यह भूमि उपखड अधिकारी नोहर द्वारा पुख्ता आवंटन की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को हस्तगत वाद के जरिये ऐसा निर्णय एवं डिक्री पारित करने की अधिकारिता नहीं थी। रोही मौजा गुलाबगढ के खसरा नं. 1110 की 1.139 है0 कृषि भूमि पर कभी भी वादी का कब्जा कातश नही रहा है। खसरा नं. 1110 की कृषि भूमि के चिपती हुई अपीलार्थी की कृषि भूमि है एवं खसरा नं. 1110 की कृषि भूमि अपीलार्थी के कब्जा काश्त में रही है। निर्णय एवं डिक्री के अनुसरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थी की कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा काश्त करने पर उतारू है एवं वह अब अपीलार्थीगण को यह भी धमकी दे रहा है कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। अगर उसे खसरा नम्बर 1110 की पर कब्जा नहीं दिया तो वह अपीलार्थीगण के विरूद्ध अत्याचार निवाण अधिनिय में फौजदारी मुकदमे दर्ज करवा देगा।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 चालाक एवं होशियार पवृति का व्यक्ति है। दावा दायरी से पूर्व एवं दावा दायरी के समय प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास वर्तमान खसरा नं0 1110 की कृषि भूमि का कब्जा काश्त नही था लेकिन उसने अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना प्रत्यर्थी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

है उसे इसलिए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रसतुत किया है जो स्वीकार किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान अपीलाण्ट को दिनांक 23.11.2015 को प्रामाणित प्रतियां प्राप्त करने पर हुआ। ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि वाद पत्र में कथन कियाकि उसे रोही मौजा गुलाबगढ के ख0 नं0 237 में 15 बीघा आराजी 22.05. 1971 को उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा अलॉट की गई थी। जिसके निशानात लेकर काश्त करना शुरू कर दी यह भूमि आज भी उसके कब्जा काश्त में चली आ रही है। बन्दो बस्त विभाग ने खसरा नं. परिवर्तन करने पर नये खसरा पनं. 1107, 1106/1317, 1110 बने। वादी की उपरोक्त आराजी चा0 नं. 1107 में व 1110 में दर्ज कर दी गई। बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा परिवर्तन किये जाने पर उपरोक्त आराजी में से 10.05 बीघा (2.707है0) आराजी ख0 नं0 1107 में परिवर्तन हुई तथा शेष भूमि इसी खसरा में चिपती हुई ख0 नं0 1106/1317 में पैमूद होनी थी क्यों कि वादी का कब्जा ख0 नं0 11.7 के चिपते हुए उत्तर दिशा में ख0 नं0 1106/1317 में है, जो वादी की चिपते हुए खसरा है तथा वादी की अन्य खसरा नम्बरान की आराजी भी इसी में चिपती हुई आराजी है लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलती से व भूलवश उपरोक्त 4.10 बीघा (1.139 है0) आराजी को खसरा नं. 1110 में दर्ज कर दिया गया जो कतई गलत है। क्योंकि खसरा नं. 1110 वादी की आराजी से काफी दूर है न ही कभी वादी का उस भूमि पर कभी कब्जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 बृजलाल द्वारा उसके नाम से आवंटन शुदा आराजी के निशान व पैमाईश वगैरहा करवाई गई तो वादी का ज्ञान हुआ कि वादी के नाम की 4.10 बीघा (1.139 है0) आराजी ख0 नं0 1110 में दर्ज चली आ रही है लेकिन वादी का कब्जा हमेशा ही 11.06/1317 में रहा है यही आराजी वादी के चिपती आरजी है प्रतिवादी का कभी उक्त ख0 की आराजी में कब्जा काश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियात कायम की जाकर साक्ष्यों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

7. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रतिवादी सं0 1 जो अनुसूचित जाति का सदस्य है जिसे खसरा नं. 1106/1317 की 10 बीघा 14 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि है जिससे प्रतिवादी सं0 1 को नाम मात्र. की कृषि भूमि से

उक्त कृषि भूमि किया गया है। वादी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही धारा 183 'बी' के तहत तहसीलदार रावतसर में दिनांक 01.06.2011 से जैरकार है जिसमें वादी हाजिर आ चुका है वादी के द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्य की खातदारी कृषि भूमि को हडप करने की नियत से वाद पेश किया है। खसरा नं. 110 की कृषि भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के कब्जा काश्त में है अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से किसी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलाण्ट ने रंजिशवश यह अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

9. धारा –96 सिपीसी में अंकित तथ्यों के आधार पर एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

10. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था इसलिए उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं होना स्वाभाविक है अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वाद धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत रेस्पोडेण्ट सं. 1 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध प्रस्तुत किया था। वादी/रेस्पोडेण्ट सं0 1 के वाद का यह आधार था कि रोही मौज गुलाबगढ के खसरा नं. 237 में 15 बीघा कृषि भूमि उसको उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा 22.05.1971 को आवंटित की गई तभी से इस भूमि पर उसका कब्जा काश्त है। इस भूमि में से बंदोबस्त विभाग ने 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि 1107 में व 4 बीघा 10 बिस्वा खसरा नं. 1110 में दर्ज कर दी जबकि 4 बीघा 10 बीस्वा भूमि को खसरा नं. 1106/1317 में पैमूद होनी थी। खसरा नं. 1110 में 4.10 बीघा भूमि गलत पैमूद हुई है। इसलिए वादी ने खसरा नं. 1110 की 4 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर खसरा नं. 1106/1317 की 4 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष मांगा जो विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। अपील में प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम पंचायत गुलाबगढ तहसील रावतसर सम्वत 2070–2073 प्रस्तुत हुई है। खसरा नं. 1106/1317 की 2.7070 है0 भूमि बृजलाल वल्द मंगलाराम कौम मेघवंशी सा0 देह के नाम अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में चित्रप्रति आवंटन पट्टा नकल रजिस्टर फेहरिस्त हकदारान रोही मोजा गुलाबगढ प्रदर्श–1, नजरी

नं. 1106/1107 की भूमि के चिपते हुए ख0 नं0 1106/1317 की 1.139 है. भूमि राजस्व रिकार्ड मं दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा परिवर्तन के समय ख. नं. 1110 की भूमि वादी के नाम दर्ज की गई है जिसके मध्य प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आवंटित भूमि आती है। खसरा नं. 1110 व 1106 /1317 चिपते हुए तथा दोनों की भूमि एक झुण्ड में है काश्त की सुविधा व वादी व प्रतिवादी सं0 1 के हक हिस्सा में राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती से किसी पक्ष को कोई हानी होना नहीं पाया गया। भूमि में भी कोई परिवर्तन नहीं होना है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने वादी हेतराम को खसरा नं. 1110 की 1.139 हैक्टर की बजाय खसरा नं. 1107 के चिपती खसरा 1106/1317 की 1.139 है0 भूमि अपने नाम दर्ज व प्रतिवादी संख्या 1 बृजलाल ख. नं. 1106/1317 की 1.568 है. भूमि उत्तरी तरफ व ख. नं. 1110 की 1.139 है. भूमि जो वादी के नाम दर्ज है कुल 2.707 है. भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी अधिनस्थ न्यायालय ने माना है, इसमें क्या विधिक त्रुटि है यह अपीलाण्ट ने स्पष्ट नही किया है। उक्त परिवर्तन से वादी व प्रतिवादी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है बल्कि दोनों का ही एकल खेत होगा व काश्त आदि में सुविधा हागीं। प्रतिवादी बृजलाल ने इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नही की है, इससे स्पष्ट है कि वह अपीलाधीन निर्णय से सहमत है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.20014 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

13. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: